न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 02 / 2024

(GCMS 2024/2)(212995459036165)

राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवान दास गोयल उम्र लगभग 74 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (राज.) पोस्टल पता – चैम्बर नम्बर 64 बी, कलक्ट्रेट परिसन, श्रीगंगानगर

<u>बनाम</u>

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28.08.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राधेश्याम गोयल को बार–बार आवाज़ लगाई गई किन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 03.10.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी। जो लोक सूचना अधिकारी उसे आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 03.10.2023 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

1. दोष विवरण पत्रांक 21950 दिनांक 31.07.2019 बीएलओ न होते हुए भी बीएलओ का प्रतिरूपण किया।
2. दोष विवरण पत्रांक 21948 विधानसभा चुनाव 2023 में मतदाता पर्चियां अंकित [illegible] करवाना।
3. लोकसभा चुना[illegible]04.2014 को श्रीगंगानगर व जोधपुर में उप[illegible] दर्ज करवाना पत्रांक 16262 दिनांक [illegible]07.19

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.11 15:15:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

लोक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ37(03)(12)( )निर्वा / 2023 / 2764 दिनांक 16.10.2023 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

उक्त विषयान्तर्गत आपके आवेदन पत्र दिनांक 05.10.2023 के संदर्भ में वांछित सूचना बिन्दुवार सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर निम्नानुसार अंकित की जा रही है:

क्र. सं.	वांछित सूचना	इस कार्यालय का जवाब
1	दोष विवरण पत्रांक 21950 दिनांक 31.07.2019 बीएलओ न होते हुए भी बीएलओ का प्रतिरूपण किया।	पत्र बैंक द्वारा जरी किया गया है तथा बैंक इस कार्यालय के सीधे ही अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी कार्यालय नहीं है तथा नियमानुसार सूचना के अधिकार 2005 की धारा 6(3) के तहत उसे अंतरित किये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः आप नियमानुसार आवेदन पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त कर सकते है।
2	दोष विवरण पत्रांक 21948 विधानसभा चुनाव 2023 में मतदाता पर्चिया अंकित नाथ के व्यक्ति से वितरित करवाना।	बिन्दु संख्या 01 अनुसार
3	लोकसभा चुनाव ड्यूटी में दिनांक 06.04.2014 को श्रीगंगानगर व जोधपुर में उपस्थिति दर्ज करवाना पत्रांक 16262 दिनांक 19.07.2019	बिन्दु संख्या 01 अनुसार

आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार आपको बिन्दुवार जवाब प्रेषित किया गया है। इसके अतिरिक्त वांछित सूचना के संबंध में इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों का नियमानुसार किसी भी कार्य दिवस एवं कार्यालय समय में अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता के समक्ष उपस्थित होकर अवलोकन कर वांछित सूचना की सत्यापित प्रतिलिपि नियमानुसार सूचना शुल्क जमा करवाकर सूचना प्राप्त कर सकते है।

यदि आप उपलब्ध करवाई गई सूचना से सन्तुष्ट नहीं है तो आप जिले के प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), श्रीगंगानगर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.11 15:15:59 IST
Reason: SelfAttested

-sd-
लोक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि लोक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब प्रेषित किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इसप्रकार लोकजिला निर्वाचन अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील का जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है, फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचनाओं के स[...] कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करवा देवें और सूचना का अधि[...] अधिनियम 2005 के प्रावधानुसार चाही सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.11 15:15:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर